न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 162/2018/(2018/00162) जिला–नागौर

1. ईमरती पत्नी प्रभुराम
2. माणकराम
3. लिखमाराम
4. भोमाराम पुत्रगण प्रभुराम समस्त जाति जाट निवासी हैंसावा तहसील खींवसर व जिला नागौर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर जिला नागौर।
2. हलका पटवारी हैंसवा पटवार हलका आचीणा तहसील खींवसर एवं जिला नागौर।

––––अप्रार्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, खींवसर जिला नगौर दिनांक 31–7–2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1377/17पं0 शिविर

————

उपस्थित– 1. श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री बी.एस. शेखावत राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः– 03–09–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 तहसीलदार खींवसर द्वारा ग्राम हैसावा पटवार हलका आचीणा के आराजी खसरा नम्बर 611, 613, 614, 618, 619, 621 जिसके खातेदार अपीलार्थीगण एवं अन्य खाता एवं खसरा नम्बरान जो कि अन्य खातेदारो की भूमियां है। तहसीलदार, खींवसर ने धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के समक्ष रास्ता दर्ज करने हेतु पेश किया गया जिसमें अपीलार्थीगण को कोई सम्मन जारी नहीं किये एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–7–2017 द्वारा रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, खींवसर के आदेश दिनांक 31–7–2017 की जानकारी अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाने एवं सम्मन तामील एवं जारी नहीं होने से कभी नहीं रही तथा प्रकरण का विधिवत निस्तारण नहीं किया गया है। दिनांक 27–5–2018 को पटवारी हलका द्वारा सूचना देने पर उक्त आदेश की जानकारी हुई तथा दिनांक 1–6–2018 को नकल प्राप्त कर दिनांक 4–6–2018 को अजमेर आकर अभिभाषक से सलाह कर धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा रेस्पोन्डेन्ट अभिभाषक के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि पत्रावली में पेश नक्शे में प्रार्थीगण की खातेदारी के खेत में से त्रुटिपूर्ण रास्ता दर्ज कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी के हक और अधिकार प्रभावित होने से प्रार्थी पीड़ित पक्षकार है और अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी पर अपीलार्थीगण के अभिभाषक की बहस पर मनन करने के पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रास्ता दर्ज किये जाने बाबत नियमों में कोई प्रावधान नहीं है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 31–7–2017 पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिये कि अपीलार्थीगण एवं अन्य खातेदारान को कोई नोटिस तामील नहीं करवाये गये और न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया बल्कि एकतरफा आदेश पारित कर दिय जो क्षैत्राधिकार विहीन आदेश है। धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान एवं धारा 251, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत प्रावधान भिन्न–भिन्न है तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा काश्तकारी अधिनियम का अनुतोष भू–राजस्व अधिनियम में प्रदान कर दिये तथा किसी प्रकार का परिपत्र विधि से ऊपर नहीं हो सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–7–2017 निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी प्रकार का आदेश, परिपत्र एवं कार्यवाही विधि के विरूद्ध प्रभावशील नहीं हो सकती है जो विधि में प्रावधान है उसी अनुरूप न्यायिक कार्यवाही के तहत समुचित आदेश पारित करना आवश्यक है जबकि उक्त प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31–7–2017 पारित किया गया आदेश है जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि नजरी नक्शे में जहां नक्शा दर्शाया गया है वह कभी रास्ता नहीं रहा मौका रिपोर्ट एकतरफा बनाई गई है जो कतई पठनीय नहीं है। दर्शाये गये स्थान पर अपीलार्थीगण रहवासी गैर मुमकिन ढाणियां बनी हुई है जिसमें से रास्ता संभव नहीं है। इस प्रकार बिना कारण ही अपीलार्थीगण के मकानों में से रास्ता दर्शा दिया है जो पूर्णतया अवैध एवं एकतरफा निर्मित मौका रिपोर्ट पर आधारित होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण के खेतों में से सार्वजनिक रास्ता कभी नहीं रहा है मात्र खेत खसरा नम्बर 617 के खातेदार को निजी लाभ देने हेतु रास्ता प्रदान किया गया है तथा मौके पर वास्तव में रास्ता खेत खसरा नम्बर 1406/562, 1407/561, 550 में से चला आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत आचीणा के सरपंच ने अपने बहनोई के खेत खसरा नम्बर 1406/562 को बचाने हेतु त्रुटिपूर्ण मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर अपीलार्थीगण को अपने खातेदारी के खेत से वंचित करने का प्रयास कर मात्र व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से सारी कार्यवाही की है जो अवैध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खींवसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–7–2017 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत पीपलिया/आचीणा में प्राप्त प्रस्ताव जो रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु प्राप्त हुए थे। रास्ते जो मौके पर चल रहे सार्वजनिक रास्ते एवं बारहमासी है जो मौसम के साथ बदलते नहीं है एवं आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है इस प्रकार के रास्तों का पटवारी एवं भू–अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने हेतु प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, खींवसर को प्रेषित किये गये थे। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा तहसीलदार खींवसर की अभिशंषा एवं मौका

रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा के आधार पर रास्तों का राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा –136 का क्षैत्र व्यापक नहीं होकर सीमित है जिसके द्वारा रेकार्ड अथवा दस्तावेज में देखते ही कोई त्रुटि नजर आये तो उसे दोनों पक्ष की सहमति से दुरूस्त किये जाने का प्रावधान है जबकि इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही एक पक्षीय किया जाना स्पष्ट होता है क्योंकि अपीलार्थीगण को उक्त आदेश पारित किये जाने से पूर्व पूर्ण सुनवाई व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर ही प्रदान नहीं खसरा नम्बर 611, 613, 614, 618, 619, 621 में से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के एक पक्षीय आदेश पारित कर दिये गये जो विधि सम्मत नहीं होकर न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत भी है। तहसीलदार को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत रूके हुए रास्ते को खुलवाने संबंधी क्षैत्राधिकार है। प्रकरण में ग्राम पचांयत/तहसीलदार से बिना मौका स्थिति की जांच करवाये अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खींवसर द्वारा आदेश पारित किया गया है जो विधिसम्मत नहीं हो सकता है। अधिनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण एंव अन्य सहखातेदारान को पूर्ण सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन कर आदेश पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार, खींवसर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं पटवारी हलका एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा नजरी नक्शा एवं मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) खींवसर ने उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर एवं उन पर विचार किये बिना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को आधार मानकर आदेश दिनांक 31–07–2017 पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से अपीलार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 611, 613, 614, 618, 619 व 621 तक के लिए निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) खींवसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 1377/17 अपीलार्थीगण के हक तक उसकी खातेदारी के खसरा नम्बर 611, 613, 614, 618, 619 व 621 तक के लिए आंशिक रूप से विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीगण को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(एल.एन.मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Narain Meena
Date: 2019.12.27 13:40:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: